न्यायालय मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

समक्ष: चोब सिंह वर्मा, आई०ए०एस०, सी.सी.आर.ए.

स्टाम्प निगरानी संख्या 34, वर्ष 2009-10

मेसर्स बैनारा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार व एक अन्य

जनपद – आगरा।

आदेश 14/12/...

स्टाम्प निगरानी संख्या 34 वर्ष 2009-10 मेसर्स बैनारा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड बनाम उ०प्र०, सरकार तथा एक अन्य, कलेक्टर, स्टाम्प, आगरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.5.09 के विरुद्ध योजित की गई है। निगरानीकर्ता का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत आदेश मनमाना, अवैध तथा पत्रावली पर रहे अभिलेखीय साक्ष्य के विरुद्ध है। यह कि निगरानीकर्ता को गलत रूप से हक-हकूक का एग्रीमेंट होते हुए भी बैनामा के दर से कमी स्टाम्प का देनदार घोषित कर दिया है। यह कि प्रश्नगत दस्तावेज बैनामा दस्तावेज नहीं है बल्कि यह हक-हकूक अधिकारों का दस्तावेज मात्र है। यह दस्तावेज लिखे जाने के दिनांक से भूमि का कब्जा भी निगरानीकर्ता को नहीं मिला था। निगरानीकर्ता ने अंत में अनुरोध किया है कि निगरानी स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश निरस्त कर दिया जाये।

2. मैंने न्यायालय की पत्रावली तलब करके [illegible] निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा ए०डी०जी०सी० स्टाम्प के विद्वान [illegible] से तर्क सुने गए। निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बहस प्रारंभ करते हुए कहा कि [illegible] बिहारी सहकारी समिति ने निगरानीकर्ता से हक-हकूक अधिकारों का दस्तावेज लिखवाया था। यह कि [illegible] के नाम से अंकित भूमि थी [illegible] निगरानीकर्ता पर बैनामा की दर से स्टाम्प आरोपित नहीं किया जा सकता। विद्वान अधिवक्ता ने [illegible] कृषि भूमि [illegible] है। [illegible]

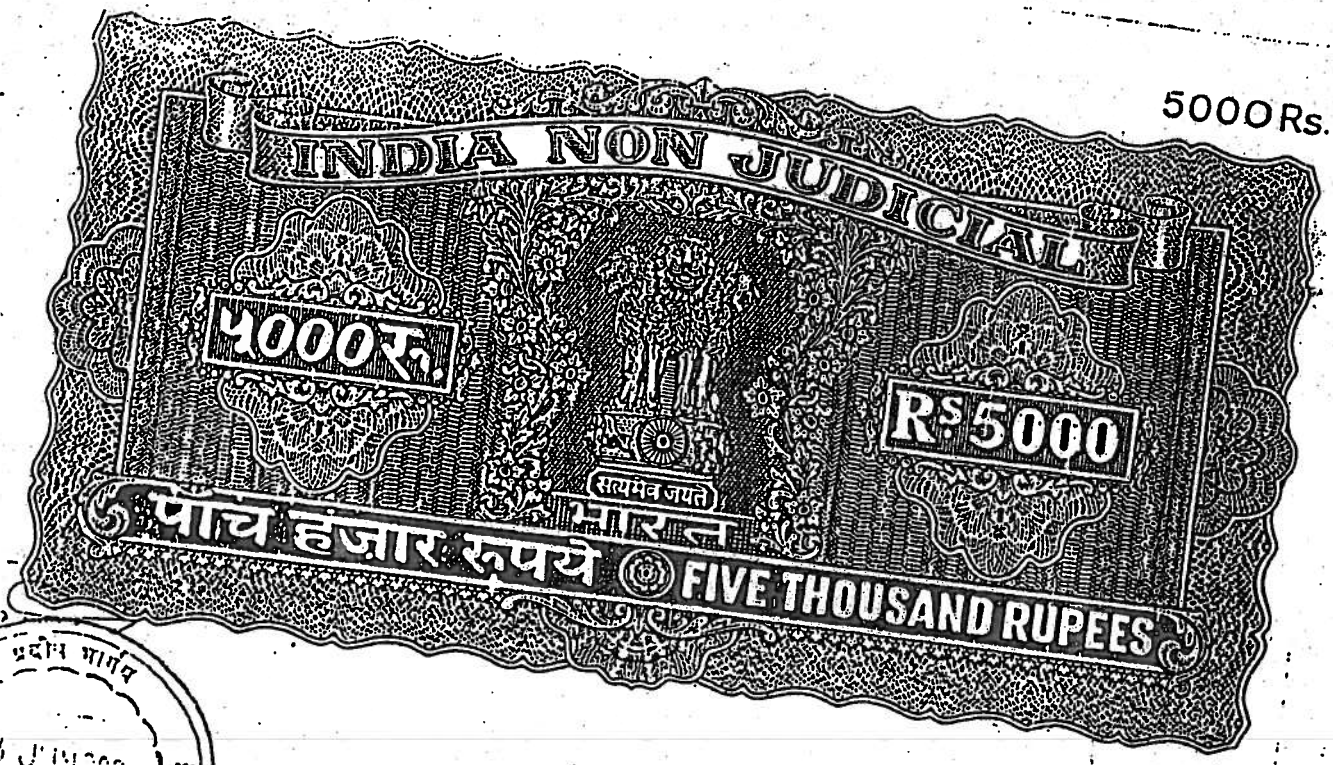

5000Rs.

-10-

तहरीर तारीख :- 9-6-2004 ई0 व मसौदा राजेश खण्डेलवाल एडवोकेट सदर तहसील परगना आगरा निवासी ई-59 दयाल बाग रोड न्यू आगरा शहर आगरा
नोटः- पत्र एक की सतर 6 में शब्द जैन के बाद व सतर 7 में शब्द निवासीगण से पहले की कुल इबारत कटी है जो मन्जूर है । व टाईप वाई निशान्त सदर

दी आनन्द विहार सहकारी आवास समिति लि.

सचिव

For Benara Infrastructure Development Pvt. Ltd.

Director